

भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन
मंत्रालय
क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर-मध्य क्षेत्र)
25 सुभाष रोड, देहरादून-248001
दूरभाष: 0135-2650809
फैक्स-0135-2653010
ईमेल - moef.ddn@gov.in



GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST &
CLIMATE CHANGE
REGIONAL OFFICE (NORTH CENTRAL ZONE)
25 SUBASH ROAD, DEHRADUN-248001
PHONE- 0135-2650809
FAX- 0135-2653010
Email- moef.ddn@gov.in

पत्र सं० 8बी/एच.पी./06/46/2019/एफ.सी./64

दिनांक: 15/04/2019

सेवा में,

अपर प्रमुख मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी (एफ.सी.ए.)
हिमाचल प्रदेश सरकार,
वन विभाग, टालैंड, शिमला।

विषय: Diversion of 3.0506 ha of forest land in favour of HPPWD for construction of Charwadhar to Gram Gouncha road (Kms 0/0 to 4/00), within the jurisdiction of Chopal Forest Division, District Shimla, H.P. (online no. FP/HP/ROAD/26257/2017)

संदर्भ: नोडल अधिकारी एवं अपर प्रमुख मुख्य वन संरक्षक (एफ.सी.ए.), हि०प्र० के पत्रांक एफ.टी. 48-3600/2017 (एफ.सी.ए.) दिनांक 11.03.2019

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र का आशय ग्रहण करते हुए मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि प्रस्ताव पर ध्यानपूर्वक विचार करने के उपरांत यह पाया गया है कि ग्राम पूर्व से ही मुख्य मार्ग से जुड़ा हुआ प्रतीत हो रहा है। अतः राज्य सरकार नये मार्ग निर्माण के सम्बन्ध में औचित्य प्रेषित करे साथ ही निम्निलिखित कमियों का जावाब/सूचना भी इस कार्यालय में प्रेषित करना सुनिश्चित करें:

- 1- In the proposal, it seems that the KML file of the proposed alignment that the end portion of the road has possibility to explore Non-Forest Land in order to cover the settlements in their proximity and to avoid unnecessary penetration to the forest area that can reduce the felling also. The State Government may explore the possibility for the same and revise the enumerations, geo-referenced map, KML etc. in this regard.
- 2- If proposed road is within 10 Km area of nearest Protected Areas therefore, state govt. may submit the comment of CWLW in this regard to this office.
- 3- The state govt. may explore possibility to shift dumping area in non-forest land specially for the dumping site D2.

यदि चाही गयी सूचना पत्र जारी होने की तिथी के 60 दिनों के भीतर इस कार्यालय में प्राप्त नहीं हुयी तो प्रस्ताव को निरस्त किया जा सकता है।

भवदीय,

सं० 1C-28-0-1603/FCA(Online) Chopal

(डा० योगेश गौरीला)

तकनीकी अधिकारी

प्रतिलिपि-02 नं० अधिकारी चौपाल को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है। उनसे अनुरोध है कि उपरोक्त चाही गई सूचना तुरन्त इस कार्यालय को भेजना सुनिश्चित करें।

PK
21-4-19

1201/4
27-4-19

मुख्य अरुणपाल शिमला,
वन हत शिमला।

प्रस्तावक संख्या 213/4 दिनांक 3-5-19

प्रतिलिपि अधिशासी अभियन्ता लोक निर्माण विभाग पोपल
को सुन्यनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है। उनसे अनुरोध है
कि उपरोक्त याही गई सुन्यना तुरन्त इस कार्यालय को भेजना अनिवार्य
करे।


वन भण्डालाधीकारी
पोपल वन भण्डाल पोपल